

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

अधिसूचना

15 जुलाई, 2009 ई0

संख्या 406/XXVII(9)/स्टाम्प-55/2009-चूकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है;

अतः, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, अधिसूचना संख्या 26/XXVII(9)/स्टाम्प/2008, दिनांक 31 मार्च, 2008 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना में निहित उद्देश्यों के लिये दिनांक 31-03-2010 की तारीख तक रुपये 3,00,000.00 (रुपये तीन लाख मात्र) तक के ऋण पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 25-07-2009, भाग-1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 वित्त/408-01-8-2009-200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।